बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–17/विविध 1–155/2020 – 947(17) पटना, दिनांक :– 20/08/2025

डा० रिजवाना बरकात तत्कालीन सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी सम्प्रति टेन्योर अवधि पूर्ण कर सेवामुक्त का दिनांक–01.10.2021 से 09.09.2022 तक की अवधि का वेतन/मानदेय भुगतान की मांग को प्रभावी तत्संबंधी प्रावधानों के आलोक में नियम संगत नहीं मानते हुए विभागीय आदेश संख्या–373(17), दिनांक–15.04.2025 द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। पुनः डा0 बरकात की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा इसी विषय पर Rejoinder उपलब्ध कराते हुए उक्त अवधि का लंबित वेतन/मानदेय तत्काल भुगतान करने/विलम्ब भुगतान सूद सहित करने का अनुरोध किया गया है।

2. ज्ञातव्य को कि डा० रिजवाना बरकात की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या–55(17), दिनांक–22.01.2019 द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट के तीन वर्षीय टेन्योर पद पर चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया में की गयी थी। डॉ0 बरकात द्वारा दिनांक–01.02.2019 को अपना योगदान समर्पित किया गया तथा वह दिनांक–29.09.2020 तक उक्त पद पर कार्यरत रही, तदोपरान्त वह बिना विभागीय अनुमति के दिनांक–30.09.2020 से R.G.U.S.H. Bengluru से एक वर्षीय फेलोशिप के लिए प्रस्थान कर गयी। उक्त फेलोशिप करने के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक–01.10.2021 को अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के समक्ष योगदान समर्पित किया गया। बिना विभागीय अनुमति के फेलोशिप के लिये प्रस्थान कर जाने के कारण अधीक्षक द्वारा विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। साथ ही डा० बरकात द्वारा भी दिनांक–09.09.2022 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित करते हुए शेष टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अधीक्षक के मार्गदर्शन पत्र एवं डा० बरकात द्वारा समर्पित उक्त अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विभागीय आदेश संख्या–759(17), दिनांक–09.09.2022 द्वारा फेलोशिप हेतु विभागीय अनुमति (घटनोत्तर) के साथ–साथ अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया में योगदान की स्वीकृति एवं शेष टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। तदालोक में इनका योगदान दिनांक–10.09.2022 के प्रभाव से अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया द्वारा स्वीकृत किया गया।

3. स्पष्ट है कि डा0 बरकात का योगदान दिनांकन–01.10.2021 को स्वीकृत नहीं हो पाने का मुख्य कारण डा0 बरकात का बिना विभागीय अनुमति के उक्त फेलोशिप के लिए प्रस्थान कर जाना था। साथ ही सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एवं संशोधन नियमावली–2013 के कंडिका–06(ड) में अंकित है कि "टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वैसे चिकित्सक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य नहीं है उनकी टेन्योर समाप्ति के पश्चात वे उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे, जबतक की उन्हें इस नियमावली के तहत किसी नये पद पर नियुक्त नही किया जाता है।"

4. ज्ञातव्य हो की डा० बरकात उक्त फेलोशिप करने के पूर्व 01 वर्ष 07 माह 21 दिन कार्य कर चुकी थी। फेलोशिप करने के उपरान्त उनका योगदान दिनांक–10.09.2022 को स्वीकृत होने के पश्चात शेष टेन्योर अवधि 01 वर्ष 04 माह 09 दिन यानी दिनांक–11.01.2024 तक अपने पद सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया में बनी रही। डा० बरकात के द्वारा तीन वर्षीय टेन्योर अवधि में किये गये कार्य का वेतन भुगतान अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया द्वारा किया जा चुका है। विदित हो की सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर का पद 03 वर्षीय टेन्योर पद है एवं तीन वर्ष के कार्य करने क एवज मे डा० बरकात को वेतन भुगतान किया जा चुका है तथा इनके द्वारा तीन वर्षो से अधिक अवधि के लिए वेतन भुगतान का दावा किया जा रहा है, जो मान्य नहीं है।

(04)

5. अतः डा० रिजवाना बरकात, सीनियर रेजिडेन्ट (तीन वर्षीय टेन्योर), चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया सम्प्रति टेन्योर अवधि पूर्ण कर सेवामुक्त के द्वारा Legal Notice के माध्यम से किये गये दावे को स्थापित नियम के आलोक में अस्वीकृत किया गया था।

6. पुनः टेन्योर अवधि तीन वर्ष से अधिक अवधि के वेतन/मानदेय भुगतान करने हेतु Rejoinder के माध्यम से डा0 बरकात के दिनाक–01.10.2021 से 09.09.2022 तक की अवधि के वेतन/मानदेय के भुगतान का किया जा रहा दावा तत्संबंधी प्रावधानों के तहत नियमसंगत नहीं है, जिस कारण इसे पूर्व में अस्वीकृत किया जा चुका है एवं इसमें संशोधन का कोई आधार नहीं है।

उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/ विविध 1–155/2020– 947(17) **पटना, दिनांक** :– 20/08/**2025**

प्रतिलिपि :– श्री ए० ए० सिद्दीक, अधिवक्ता, पिता–स्व० एम० ए० सिद्दीक, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश, नगमतिया कॉलोनी,रोड नं०–01 नगमतिया रोड, गया, पिन कोड–823001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा० रिजवाना बरकात, तत्कालीन सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर) सम्प्रति टेन्योर अवधि पूर्ण कर सेवामुक्त, चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया, ई० मेल–rizwanabarkat@ gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 20/08/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।